श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त

निवेदन संख्या-352/2026 का उत्तर प्रतिवेदन

निवेदन	उत्तर प्रतिवेदन
गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत अमरपुरा पंचायत के बंजरिया एवं बैकुंठपुर प्रखंड अन्तर्गत क्रमशः प्यारेपुर, आशा खैरा, पकहा, शीतलपुर एवं महारानी गाँव नारायणी नदी (गंडक) के किनारे अवस्थित हैं। उक्त गाँवों की बड़ी आबादी पक्के-कच्चे मकान में रहकर जीवन व्यतीत करती हैं, जिससे इन्हें जान-माल का खतरा हमेशा बना रहता है। अतः मैं उपरोक्त गांवों में निवास कर रहे हजारों नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा हेतु गाइड बाँध के शीघ्र निर्माण हेतु निवेदन करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गंडक नदी के दायें तट पर अवस्थित प्रश्नगत स्थलों के समीप बाढ़ से सुरक्षार्थ सारण मुख्य तटबंध एवं तटबंध के नदी भाग में कतिपय छरकियाँ निर्मित हैं। गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत अमरपुरा पंचायत का प्रश्नगत बंजरिया ग्राम सल्लेहपुर टंडसपुर छरकी के नदी भाग में अवस्थित है। इसी प्रकार बैकुंठपुर प्रखंड अन्तर्गत प्रश्नगत पकहा एवं शीतलपुर ग्राम बन्धौली-शीतलपुर-फैजुल्लाहपुर जमींदारी बांध के नदी भाग में अवस्थित है। बैकुंठपुर प्रखंड अन्तर्गत प्यारेपुर एवं आशा खैरा ग्राम मटियारी रिंग बांध के तथा महारानी ग्राम महारानी छरकी के नदी भाग एवं कन्ट्री भाग में अवस्थित है। बाढ़ के दौरान नदी के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि होने पर पानी एन०एस०एल० पर फैलता है एवं जलस्तर घटते ही पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है। बाढ़ 2025 के दौरान प्रश्नगत बंजरिया, प्यारेपुर, आशा खैरा, पकहा एवं शीतलपुर के समीप कटाव नहीं हुआ है। महारानी ग्राम के समीप बाढ़ 2025 के दौरान नदी तट का कटाव होने की स्थिति में तत्काल बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया गया था। साथ ही इस स्थल के समीप एजेण्डा सं०-242/126/2026 के तहत कटाव निरोधक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। बाढ़ 2026 के दौरान प्रश्नगत स्थलों के समीप कटाव नहीं हुआ है एवं स्थल पूर्णतः सुरक्षित हैं। नदी भाग में बसे प्रश्नगत ग्रामों की दूरी नदी तट से काफी कम होने की स्थिति में उक्त स्थलों के समीप तटबंध निर्माण का विकल्प तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है। बाढ़ अवधि 2026 के दौरान स्थलों पर सतत् निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है। कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा जाएगा।

P.T.O.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0स0नि0(गो0)–03–16/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–863 दिनांक–04.05.2026 के प्रसंग में निवेदन सं0–352/26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0नि0(गो0)–03–16/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0नि0(गो0)–03–16/2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25/वि0स0नि0(गो0)–03–16/2026– 3642 पटना, दिनांक– 13/08/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.08.26

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

13.8.26